राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय से चतुर्थ तल, ब्लॉक–5, डा. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर
E-mail- smsa.asfe2021@gmail.com

क्रमांकः रास्कूशिप/जय/वै.शि./प्रवेशोत्सव अभियान/2024–25/ दिनांक :–

1. निदेशक, माध्यमिक/ प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, समस्त जिले।
4. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्।
5. संयुक्त निदेशक, समस्त संभाग।
6. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा
8. अति0 जिला परियोजना समन्वयक समस्त जिले।
9. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर

विषयः– नामांकन वृद्धि, अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बच्चों एवं प्रवासी श्रमिकों के बच्चों एवं बाल श्रम से मुक्त कराये गये बच्चों तथा गाड़िया लुहार/घुमन्तू परिवारों के बच्चों को विद्यालय में नामांकित करने हेतु सत्र 2024–25 में आयोजित किये जाने वाले प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के विस्तृत दिशा–निर्देश।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य के समस्त बालक–बालिकाएं, जिनकी आयु विद्यालय / आंगनबाडी जाने योग्य है, को चिन्हित कर उनकी आयु अनुरूप आंगनबाड़ी/कक्षा में प्रवेशित कर उन्हें आंगनबाड़ी एवं विद्यालयों से जोड़ा जाना है। इसके लिये विस्तृत दिशा–निर्देश जारी करते हुये निर्देशित किया जाता है कि संलग्न दिशा–निर्देशों के अनुरूप अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे नामांकन वृद्धि, अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बच्चों एवं प्रवासी श्रमिकों के बच्चों एवं बाल श्रम से मुक्त करवाये गये बच्चों तथा गाड़िया लुहार/घुमन्तु परिवारों के बच्चों को विद्यालय से जोड़ने हेतु **प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दौरान हाउस होल्ड सर्वे कर शिक्षा से वंचित बच्चों को चिन्हित करते हुये विद्यालय से जोड़कर शाला दर्पण के CRC मॉड्यूल पर प्रविष्टि सुनिश्चित करायें।**

शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये गये आदेशानुसार मई माह में विद्यालय के नवीन सत्र के प्रथम दिवस से प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का संचालन किया जाना है। इसके अन्तर्गत प्रथम दिवस से शिक्षकों के माध्यम से विद्यालय परिक्षेत्र में घर–घर जाकर सर्वे (हाऊस होल्ड सर्वे) किया जाना है। हाऊस होल्ड सर्वे उपरान्त चिन्हित बच्चों एवं विद्यालय में पूर्व से नामांकित विद्यार्थियों का ठहराव सुनिश्चित करने हेतु प्रवेशोत्सव अभियान चलाते हुये शिक्षा विभाग की विभिन्न लाभकारी योजनाओं/गतिविधियों/कार्यक्रमों से अभिभावकों/आमजन को अवगत कराते हुये अधिकाधिक प्रचार–प्रसार करते हुये नामांकन करवाना सुनिश्चित करें।

प्रवेशोत्सव अभियान के दौरान विद्यालय परिक्षेत्र के ऐसे बच्चे जो विद्यालय से जुड़ने से वंचित रह गये हैं, के लिये पुनः कार्ययोजना तैयार कर माह अगस्त तक पुनः सर्वे कर शत–प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जाये ताकि अधिकाधिक पंचायतों को उजियारी पंचायत घोषित किया जा सके। प्रवेशोत्सव अभियान का तिथिवार विवरण निम्नानुसार है –

प्रवेशोत्सव का प्रथम चरण			
क्र0स0	कार्य प्रक्रिया		दिनांक
1	हाऊस होल्ड सर्वे / बच्चों का चिन्हिकरण	–	24 जून से 29 जून, 2024
2	नामांकन अभियान (CRC मॉड्यूल में प्रविष्टि)	–	01 जुलाई से 16 जुलाई, 2024

प्रवेशोत्सव का द्वितीय चरण			
3	शेष रहे बच्चों के चिन्हिकरण हेतु पुनः हाऊस होल्ड सर्वे	–	18 जुलाई से 24 जुलाई, 2024
4	नामांकन अभियान (CRC मॉड्यूल में प्रविष्टि)	–	25 जुलाई से 16 अगस्त, 2024

संलग्न दिशा–निर्देश अनुरूप कार्ययोजना बनाकर यह सुनिश्चित किया जावे कि आंगनबाड़ी एवं विद्यालय जाने योग्य आयु का कोई भी बालक–बालिका अनामांकित ना रहे। साथ ही विद्यालय स्तर पर 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के सभी बालक–बालिकाओं का रिकॉर्ड संधारित किया जाये।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(कृष्ण कुणाल)
शासन सचिव
स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय

क्रमांक – रास्कूशिप/जय/वैशि/प्रवेशो./2024–25/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राज0 सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीया मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं संस्कृत विभाग, राज0 सरकार।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, राजस्थान सरकार।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
7. निजी सचिव, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, राजस्थान सरकार।
8. निजी सचिव, सचिव, राज0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
9. निजी सचिव, सचिव, राज0 राज्य महिला आयोग, जयपुर।
10. निजी सचिव, निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
11. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार।
12. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
13. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
14. निजी सहायक, निदेशक, संस्कृत शिक्षा निदेशालय, शिक्षा संकुल परिसर, जयपुर।
15. निजी सहायक, सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, शिक्षा संकुल परिसर, जयपुर।
16. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक ;प्द्ध, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
17. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समितियाँ (समस्त ब्लॉक) राजस्थान।
18. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, पंचायत समितियाँ (समस्त ब्लॉक) राजस्थान।
19. समस्त सीबीईओ/यूसीईईओ/पीईईओ (सीआरसी) संस्थाप्रधान।
20. उपनिदेशक, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद को पत्र भेजकर लेख है कि सर्वे के दौरान चिन्हित 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों की पूर्व प्राथमिक कक्षाओं व आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्रवेश को सुनिश्चित करने हेतु सघन मॉनीटरिंग करें।
21. रक्षित प्रति।

RajKaj Ref
6785943